



166

निगरानी प्रकरण क्र.- /2018

माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर केम्प इंदौर

निगरानी- 5525/2018/झाबुआ/श्र.श.

श्री वी.के. गुप्ता
जा.श.भा.प.क. इ.के.
23-8-18
8699
B
23818

1. अन्नु पिता मंगा, जाति- भील उम्र- 55 वर्ष,
2. बाबू पिता मंगा, जाति- भील, उम्र- 35 वर्ष
3. श्रीमती सकरीबाई बेवा मंगा जाति भील,
समस्त निवासीगण- ग्राम रेतालुजा तह. रानापुर
जिला झाबुआ म.प्र.

...प्रार्थीगण

विरुद्ध

1. बच्चू पिता बदिया उम- 40 वर्ष
 2. सुमली पति बदिया उम- 62 वर्ष
 3. थावरिया पिता खीमा उम- 35 वर्ष
 4. सोमला पिता खीमा, उम- 33 वर्ष
 5. विशिया पिता खीमा उम- 30 वर्ष
- समस्त निवासीगण- ग्राम रेतालुजा तह. रानापुर
जिला झाबुआ म.प्र.

...प्रतिप्रार्थी

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता

इसमे प्रार्थीगण श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) झाबुआ द्वारा अपील प्रकरण क्र. 23/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 19/07/2018 से असंतुष्ट होकर नीचे लिखे आधारों पर निगरानी प्रस्तुत करते है।

प्रकरण के तथ्य निम्नानुसार है :-

यह कि, प्रार्थीगण ने श्रीमान सहस्रीलदार महोदय रानापुर जिला झाबुआ के समक्ष म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 109/110 के

in case

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी/5525/2018/झाबुआ/भूरा

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-02-19	<p>आवेदकपक्ष अधिवक्ता श्री वी०के०गुप्ता उपस्थित। आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। म०प्र०भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 20-5-2019 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p>अध्यक्ष</p>